



सत्यमेव जयते



IN-UK25593748010243W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp



Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

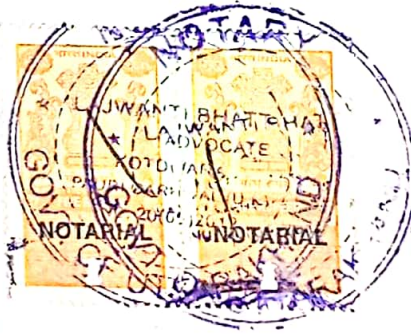
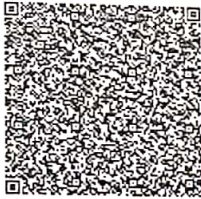
First Party

Second Party

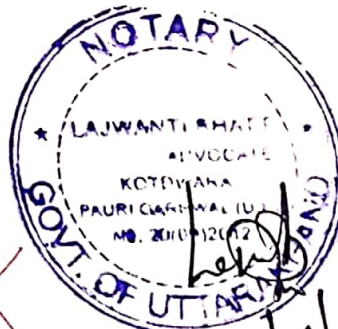
Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UK25593748010243W
: 11-Jun-2024 12:25 PM
: NONACC (SV)/ uk1263804/ KOTDWAR/ UK-PG
: SUBIN-UKUK126380457996532720971W
: MANAGER R S S V M I C JANKI NAGAR KOTDWARA
: Article 4 Affidavit
: NA
: 0
(Zero)
: MANAGER R S S V M I C JANKI NAGAR KOTDWARA
: MUKHYA SHIKSHA ADHIKARI PAURI
: MANAGER R S S V M I C JANKI NAGAR KOTDWARA
: 10
(Ten only)



Please write or type below this line



[Signature]

प्रबन्धक
सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज
जनकी नगर, कोटद्वार गढ़वाल

[Signature]

प्रधानाचार्य
रितेश शर्मा सरस्वती विद्या मन्दिर
इण्टरमीडिएट कॉलेज, जानकीनगर
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

Statutory Alert:

- 1 The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
- 2 The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate

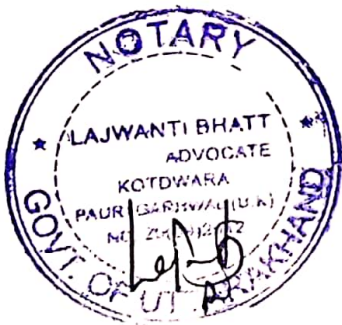
समक्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 व नियम 17 के उपनियम (5) को देखें

मान्यता हेतु शर्तें:

मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है—

- (क) विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 कि संख्या 21 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था द्वारा या तत्समय किसी विधी के अधीन गठित स्वजानिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
- (ख) विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ किसी अन्य व्यक्ति के लाभ हेतु संचालित नहीं हो रहा है:
- (ग) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप विद्यालय संचालित है:
- (घ) विद्यालय भवन या अन्य ढाँचागत सुविधाओं या प्रांगण मात्र ब्रह्मक्षित योजनों तथा दक्षता विकास हेतु प्रयुक्त किया जाता है:
- (ङ) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण कर सकता है।
- (च) विद्यालय ऐसे मरम्मत विवरण एवं सूचनाये उपलब्ध करायेगा जो समय-समय पर राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अधिकृत अधिकारी तथा जिला आधिकारी द्वारा माँगी जायेगी। साथ ही विद्यालय की कार्य प्रणाली की कमियों को पूरा करने अथवा मान्यता की शर्तों की अनवरत् पूर्ति को सुनिश्चित रखने हेतु राज्य सरकार या स्थानिया प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देशों को अनुपालन विद्यालय द्वारा लिखा जायेगा:
- (छ) विद्यालय अधिनियम की धारा 19 एवं अनुसूची में निहित स्तर एवं मानको को स्थापित रखेगा:
- (ज) विद्यालय अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के समस्त प्रानियम का का पालन करेगा।
- (झ) विद्यालय अपने पड़ोस के अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ संचालित होने की दशा में सबसे छोटी कक्षा (कक्षा-1 की कुल सीटों की 25 प्रतिशत सीटों के समतुल्य) की कुल सीटों के 25 प्रतिशत सीटों का सीमा तक प्रवेश देगा। सहायता प्राप्त विद्यालय उनको समस्त वार्षिक आवृत्ति सहायता के अनुपा में अथवा कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करेगा:
- (ञ) ऐसे विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत अपने निकट (पड़ोस) के अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश प्रदान करेंगे।
- (ट) विद्यालय बच्चों से किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क प्रभारित नहीं करेंगे तथा बच्चों के प्रवेश के समय बच्चे अथवा उसके माता-पिता अथवा अभिभावकों हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं अपनायेंगे:
- (ड) मान्यता प्रदान की जाने वाली शर्तों का उल्लंघन करने पर विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरित कर दी जायेगी
- (ढ) विद्यालय प्रत्येक वर्ग की 30 सितम्बर के आधार पर डासय प्रपत्र विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।



प्रधानाचार्य
रिश्ते शर्मा गणेश्वरी विद्या मन्दिर
इण्टर कॉलेज, पौड़ी गढ़वाल
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

हस्ताक्षर

ATTESTED

LAJWANTI BHATT (ADVOCATE)
NOTARY
KOTDWARA PAURI GARHWAL

प्रबन्धक
प्रबन्धक
सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज
जनकी नगर, कोटद्वार गढ़वाल